न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

रैफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 115/2010

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा

.. प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. शक्तिसिंह पुत्र भंवरसिंह हि.1/2
2. विमलेश पत्नि भंवरसिंह हि.1/2

जाति राजपूत निवासी गढ हिम्मतसिंह तहसील महवा जिला दौसा

..अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांक 24.05.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र रेफरेंस इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने ग्राम गढ हिम्मतसिंह तहसील महवा के आ0ख0नं0 385 रकबा 0.30 है. जो कि भू प्रबंध से पूर्व खसरा नंबर 53 मिन रकबा 2 बीघा गैर मुमकिन नहर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रेफरेंस हेतु निवेदन किया है।

प्रा0पत्र रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रैफरेन्स के बिन्दुओं दोहराते हुए निवेदन किया कि:–

1. आराजी खसरा नंबर 385 रकबा 0.30 है. वाके ग्राम गढ हिम्मतसिंह तहसील महवा में स्थित है।
2. आराजी खसरा नंबर 385 के भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व खसरा नंबर 53 मिन रकबा 2 बीघा की किस्म जमाबंदी में गैर मुमकिन नहर ही अंकित थी।
3. गै0मु0 नहर भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा राज0 भू राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा कराकर दिनांक 11.5.1981 को आवंटन करा लिया जिसका राजस्व रिकार्ड में जरिये नामा0 सं0 161 के द्वारा गैर खातेदारी प्रदान की गई।
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित दिनांक 2.8.2004 में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार [illegible] गै0मु0नहर दर्ज किया जाना एवं रिकार्ड पटवार में [illegible] को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकूल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qumar Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 13:01:56 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। हम गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम गढ हिम्मतसिंह के हाल

.....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

रैफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 115/2010

खसरा नंबर 385 रकबा 0.30 है. किस्म गै0मु0नहर भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। भूमि की किस्म भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व भी गै0मु0नहर दर्ज थी एवं वर्तमान में भी भूमि की किस्म गै0मु0 नहर ही अंकित है। गै0मु0 नहर भूमि की किस्म की भूमि आवंटन योग्य नहीं होती है। भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से करा लिया गया। भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत गै.मु.तालाब, नदी, नाले व जलोट भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। आवंटन आदेश व गैर खातेदारी अधिकार अवैद्य होने से प्रभाव शून्य है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 रिट पिटिशन 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे भी जलोढ भूमि को पूर्व की स्थिति में लाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटित भूमि गै0मु0 नहर होने के कारण आवंटन योग्य नहीं थी। पूर्व पारित कार्यवाही अवैध व प्रभावशून्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें। संबंधित पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांकः 07.08.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो । खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 मई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 13:01:56 IST
Reason: SelfAttested